न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) ठाकुरद्वारा।

आकाश प्रति प्रभु सिंह

परिवाद सं0– 528/2015

आरोप

मैं प्रीती मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा आप अभियुक्त प्रभु सिंह पर निम्न आरोप आरोपित करती हूँ:–

1– यह कि दिनांक–10.08.2014 को समय 10.00 बजे सुबह बाबूपुरा घोसीपुरा थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद आपने परिवादी को लात घूंसों व लाठी डंडों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने परिवादी को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया जिससे कि वह लोकशांति भंग कर सकें। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्वारा निर्देश देतीं हूँ कि उपरोक्त आरोपों पर आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–08.07.2019

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिनसे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनॉक–08.07.2019

(प्रीती मोगा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।